

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 153]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2010—फाल्गुन 28, शक 1931

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2010

क्र. 6189-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबंधों के पालन में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 5 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 18 मार्च, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ५ सन् २०१०

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१०.

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा ९ का संशोधन.
३. धारा १५ का संशोधन.
४. धारा २२ का संशोधन.
५. धारा २७ का संशोधन.
६. धारा ३१ का संशोधन.
७. निरसन और व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ५ सन् २०१०

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१०.

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१० है.

धारा ९ का संशोधन.

२. राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ (क्रमांक ३ सन् २००९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ९ में, खण्ड (सात), (नौ) और (बारह) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड क्रमशः स्थापित किए जाएं, अर्थात्:-

“(सात) निदेशक, अलाउद्दीन खां संगीत और कला अकादमी, भोपाल;
(नौ) निदेशक, साहित्य अकादमी, भोपाल;
(बारह) कुलाध्यक्ष का नामनिर्देशिती, जो एक विख्यात कलाकार होगा;”.

धारा १५ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १५ में, उपधारा (१) में, खण्ड (छह) और (सात) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड क्रमशः स्थापित किए जाएं, अर्थात्:-

“(छह) निदेशक, साहित्य अकादमी, भोपाल;
(सात) निदेशक, अलाउद्दीन खां संगीत और कला अकादमी, भोपाल;”.

धारा २२ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा २२ में, खण्ड (पांच) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“परन्तु ऐसे किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि आयुक्त/संचालक, संस्कृति, मध्यप्रदेश द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न न हो कि संस्था की स्थापना या संस्था द्वारा चाहे गए संकायों के विस्तार के लिए उसके द्वारा अनुज्ञा दी गई है;”.

धारा २७ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २७ में, उपधारा (२) में, द्वितीय परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अपूर्ण विराम (कोलन) स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“परन्तु यह भी कि प्रथम कुलपति ऐसी कालावधि तक पद धारण करेगा जिसके कि लिए वह प्रारंभिक रूप से नियुक्त किया गया है और वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर अपना पद धारण करने से प्रवृत्त नहीं रहेगा.”.

धारा ३१ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ३१ में, उपधारा (२) में, शब्द “साधारण परिषद्” का लोप किया जाए.

निरसन और व्यावृत्ति.

७. (१) राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१० (क्रमांक २ सन् २०१०) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ (क्रमांक ३ सन् २००९) में कुछ विसंगतियां देखी गई हैं। इन विसंगतियों को दूर करने की दृष्टि से, मूल अधिनियम को यथोचित रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, इस प्रयोजन के लिये राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१० (क्रमांक २ सन् २०१०) प्रख्यापित किया गया था। अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मंडल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए।

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :
तारीख १० मार्च, २०१०.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा
भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ के प्रावधान यथा: कुलपति की नियुक्ति, साधारण सभा की बैठक आदि के प्रावधान अनुरूप विश्वविद्यालय के संचालन एवं अधिनियम के कतिपय प्रावधानों की प्रभावशीलता के संबंध में व्यवहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए, इनमें तत्काल संशोधन की आवश्यकता थी।

चूंकि तद्समय विधान सभा सत्र चालू नहीं था अतः उक्त वर्णित परिस्थितिजन्य तात्कालिकतावश प्रस्तावित संशोधनों को प्रभावशील बनाने हेतु महामहिम राज्यपाल द्वारा राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१० (क्रमांक २ सन् २०१०) दिनांक २५-१-२०१० को प्रख्यापित किया गया।

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.